2015 का विधेयक सं.9

महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर (संशोधन) विधेयक, 2015

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर अधिनियम, 2000 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता हैः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इस अधिनियम का नाम महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर (संशोधन) अधिनियम, 2015 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 2000 के राजस्थान अधिनियम सं. 8 की धारा 2 का संशोधन.- महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर अधिनियम, 2000 (2000 का अधिनियम सं. 8), जिसे इसमें आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में विद्यमान खण्ड (क) के पश्चात् और विद्यमान खण्ड (ख) के पूर्व निम्नलिखित नया खण्ड अन्त:स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(कक) "संबद्ध महाविद्यालय" से ऐसा महाविद्यालय या संस्थान, जिसे विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार दिये गये हों, अभिप्रेत है;"

3. 2000 के राजस्थान अधिनियम सं. 8 की धारा 4 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 4 में,-

(i) विद्यमान उप-धारा (3) हटायी जायेगी;

(ii) विद्यमान उप-धारा (4) को उप-धारा (3) के रूप में पुन:संख्यांकित किया जायेगा; और

(iii) इस प्रकार पुन:संख्यांकित उप-धारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित नयी उप-धारा जोड़ी जायेगी, अर्थात्:-

"(4) राज्य सरकार, लिखित आदेश द्वारा,-

(क) विश्वविद्यालय की क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर स्थित किसी भी संस्थान या महाविद्यालय से, विधि द्वारा निगमित किसी भी अन्य विश्वविद्यालय से अपनी संबद्धता या अपने विश्वविद्यालयजन्य विशेषाधिकार ऐसी तारीख से, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाये, ऐसी सीमा तक, जो आवश्यक और उचित समझी जाये, समाप्त कर लेने की अपेक्षा कर सकेगी, या

(ख) आदेश में विनिर्दिष्ट किसी भी संस्थान या महाविद्यालय को, जिसका राज्य सरकार की राय में स्वायत्त होना या उसे किसी भी अन्य विश्वविद्यालय या निकाय से सम्बद्ध किया जाना या विशेषाधिकारों का दिया जाना अपेक्षित है, इस अधिनियम द्वारा गठित विश्वविद्यालय की सम्बद्धता या उसके विशेषाधिकार दिये जाने से, ऐसी सीमा तक, जो आवश्यक और उचित समझी जाये, अपवर्जित कर सकेगी।"।

4. 2000 के राजस्थान अधिनियम सं. 8 की धारा 7 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 7 में विद्यमान खण्ड (ङ) के पश्चात् और विद्यमान खण्ड (च) के पूर्व निम्नलिखित नया खण्ड अन्त:स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(ङङ) विश्वविद्यालय द्वारा संधारित न किये गये महाविद्यालयों और संस्थानों को विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार देना, और ऐसे विशेषाधिकारों में से समस्त या किसी विशेषाधिकार को वापस लेना;"।

5. 2000 के राजस्थान अधिनियम सं. 8 की धारा 12 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (2) में विद्यमान खण्ड (x) के पश्चात् और विद्यमान खण्ड (xi) के पूर्व निम्नलिखित नया खण्ड अन्त:स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(x-क) विद्या परिषद् की सिफारिश पर महाविद्यालयों या संस्थानों को संबद्धता प्रदान करना या ऐसी संबद्धता को वापस लेना;"।

6. 2000 के राजस्थान अधिनियम सं. 8 की धारा 38 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 38 में,-

(i) विद्यमान खण्ड (11) के पश्चात् और विद्यमान खण्ड (12) के पूर्व निम्नलिखित नया खण्ड अन्त:स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(11-क) महाविद्यालयों या संस्थानों की सम्बद्धता की और ऐसी सम्बद्धता को वापस लेने की प्रक्रिया तथा निबंधन और शर्तें, और सम्बद्धता की फीस के निबंधन तथा शर्तें;" ; और

(ii) खण्ड (12) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "अनुरक्षित" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "महाविद्यालय/केन्द्रों" के पूर्व "घटक" शब्द अन्त:स्थापित किया जायेगा।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर अधिनियम, 2000 में किसी महाविद्यालय को संबद्धता प्रदान करने का कोई भी उपबंध नहीं है। परिणामस्वरूप, विश्वविद्यालय के लिए, ऐसे किसी भी कृषि महाविद्यालय को संबद्धता प्रदान करना संभव नहीं है जो इसकी क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर स्थापित किया गया हो।

इस समस्या का समाधान करने के लिए यह प्रस्तावित है कि महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर अधिनियम, 2000 में श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर अधिनियम, 2013 के विद्यमान उपबंधों के अनुरूप आवश्यक संशोधन किये जायें। इसलिए, राज्य सरकार ने महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर अधिनियम, 2000 की धारा 2, 4, 7, 12 और 38 में संशोधन प्रस्तावित करने का विनिश्चय किया है।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अतः विधेयक प्रस्तुत है।

प्रभुलाल सैनी,

प्रभारी मंत्री।

महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर अधिनियम, 2000 (2000 का अधिनियम सं. 8) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX XX XX

4. क्षेत्रीय अधिकारिता.-(1) से (2) XX XX XX XX

(3) इस विश्वविद्यालय की अधिकारिता और प्राधिकार के अधीन आने वाले समस्त महाविद्यालय, अनुसंधान और प्रयोग केन्द्र या अन्य संस्थाएं, विश्वविद्यालय के अधिकारियों और प्राधिकरणों के पूर्ण प्रबंध और नियंत्रण के अधीन विश्वविद्यालय के संघटक इकाइयों के रूप में होंगी और कोई भी इकाई संबद्ध इकाई के रूप में मान्य नहीं की जायेगी।

(4) विश्वविद्यालय बहु अनुशासनिक पद्धति वाली अनुसंधान परियोजनाओं और शैक्षणिक कार्यक्रमों में अन्य विश्वविद्यालयों और ख्यातिप्राप्त संस्थाओं से सहयोग ले सकेगा।

XX XX XX XX XX XX

38. परिनियम.- इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए विश्वविद्यालय के परिनियम विश्वविद्यालय के कार्यकलापों से संसक्त किसी भी विषय के लिए उपबंधित कर सकेंगे और विशिष्टतया निम्नलिखित के लिए उपबंध करेंगे, अर्थात्:-

(1) से (11) XX XX XX XX

(12) विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित और अनुरक्षित महाविद्यालय/ केन्द्रों/खण्डों/विभागों/प्रादेशिक केन्द्रों/अन्य संस्थाओं का प्रबन्ध;

(13) से (14) XX XX XX XX

XX XX XX XX XX XX

(Authorised English Translation)

Bill No. 9 of 2015

THE MAHARANA PRATAP UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND TECHNOLOGY UDAIPUR (AMENDMENT) BILL, 2015

(To be Introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

further to amend the Maharana Pratap University of Agriculture and Technology Udaipur Act, 2000.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-sixth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Maharana Pratap University of Agriculture and Technology Udaipur (Amendment) Act, 2015.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 2, Rajasthan Act No. 8 of 2000.- In section 2 of the Maharana Pratap University of Agriculture and Technology Udaipur Act, 2000 (Act No. 8 of 2000), hereinafter referred to as the principal Act, after the existing clause (a) and before the existing clause (b), the following new clause shall be inserted, namely:-

"(aa) "affiliated college" means a college or institute admitted to the privileges of the University;".

3. Amendment of section 4, Rajasthan Act No. 8 of 2000.- In section 4 of the principal Act,-

(i) the existing sub-section (3) shall be deleted;

(ii) the existing sub-section (4) shall be renumbered as sub-section (3); and

(iii) after the sub-section (3) so renumbered, the following new sub-section shall be added, namely:-

"(4) The State Government may, by order in writing-

(a) require any institute or college within the territorial limits of the University to terminate, with effect from such date as may be specified

in the order, its association with, or its admission to the privileges of any other university incorporated by law to such extent as may be considered necessary and proper; or

(b) exclude, to such extent as may be considered necessary and proper, from association with, or from admission to the privileges of the University constituted by this Act any institute or college specified in the order which, in the opinion of the State Government, is required to be self governing or to be associated with or admitted to the privileges of, any other university or body.".

4. Amendment of section 7, Rajasthan Act No. 8 of 2000.- In section 7 of the principal Act, after the existing clause (e) and before the existing clause (f), the following new clause shall be inserted, namely:-

"(ee) to admit colleges and institutes, not maintained by the University, to the privileges of the University, and to withdraw all or any of such privileges;".

5. Amendment of section 12, Rajasthan Act No. 8 of 2000.- In sub-section (2) of section 12 of the principal Act, after the existing clause (x) and before the existing clause (xi), the following new clause shall be inserted, namely:-

"(x-a) to grant affiliation to colleges or institutes on the recommendation of the Academic Council or withdraw such affiliation;".

6. Amendment of section 38, Rajasthan Act No. 8 of 2000.- In section 38 of the principal Act,-

(i) after the existing clause (11) and before the existing clause (12), the following new clause shall be inserted, namely:-

"(11-a) procedure and terms and conditions of affiliation and of withdrawal of such affiliation, and terms

and conditions of fees for affiliation, to colleges or institutes;"; and

(ii) in clause (12), after the existing expression "management of" and before the existing expression "Colleges/Centres", the word "constituent" shall be inserted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

There is no provision in the Maharana Pratap University of Agriculture and Technology Udaipur Act, 2000 for granting affiliation to any college. Consequently, it is not possible for the University to grant affiliation to any agriculture college which is set up within its territorial jurisdiction.

For resolving this problem it is proposed that necessary amendments may be made in the Maharana Pratap University of Agriculture and Technology Udaipur Act, 2000 on the lines of the existing provisions in the Sri Karan Narendra Agriculture University, Jobner Act, 2013. Therefore, the State Government has decided to propose amendments in sections 2, 4, 7, 12 and 38 of the Maharana Pratap University of Agriculture and Technology Udaipur Act, 2000.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objective.

Hence the Bill.

प्रभुलाल सैनी,
Minister Incharge.

EXTRACTS TAKEN FORM THE MAHARANA PRATAP UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND TECHNOLOGY UDAIPUR ACT, 2000
(Act No. 8 of 2000)

XX XX XX XX XX XX

4. Territorial Jurisdiction.- (1) to (2) xx xx xx xx

(3) All colleges, research and experimental stations, or other institutions coming under the jurisdiction and authority of this University shall come in as constituent units of the University under the full management and control of the University officers and authorities and no unit shall be recognised as an affiliated unit.

(4) The University may have collaboration in research projects having multi-disciplinary approach and academic programmes with other Universities or reputed institutes.

XX XX XX XX XX XX

38. Statutes.- Subject to the provisions of this Act, the Statutes of the University may provide for any matter connected with the affairs of the University and shall in particular, provide for the following, namely:-

(1) to (11) xx xx xx xx xx xx

(12) management of Colleges/ Centres/ Divisions/ Departments/Regional Stations/other institutions founded or maintained by the University;

(13) to (14) xx xx xx xx xx xx

XX XX XX XX XX XX

2015 का विधेयक सं.9

महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर (संशोधन) विधेयक, 2015

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा

महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर अधिनियम, 2000 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

पृथ्वी राज,

विशिष्ट सचिव।

(प्रभू लाल सैनी, **प्रभारी मंत्री**)

Bill No. 9 of 2015

THE MAHARANA PRATAP UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND TECHNOLOGY UDAIPUR (AMENDMENT) BILL, 2015

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

further to amend the Maharana Pratap University of Agriculture and Technology Udaipur Act, 2000.

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

PRITHVI RAJ,
Special Secretary.

(Prabhu Lal Saini, **Minister-Incharge**)